


तारीख  
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

अ  
ल  
क  
म  
में  
जा  
र

16/4/25

पत्रावली क्षाप्त पेश हुई। अपीलान्ट व इनके वकील अनुपस्थित। न्यायालय समय में रुक-रुक कर तीन बार अपीलान्टे लगाई गई बावजूद अपीलान्ट व इनके अधिवक्ता गैर हाजिर रहे। अतः पत्रावली गैर हाजिरी एवम् क्षाप्त पत्रावली में धारिज की जाती है। पत्रावली फेंतल सुमार होकर डाकिले इफतर हो एवम् नम्बर लि कम हो।

  
ठपखण्ड अधिकारी  
चौहटन

